न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/98

सत्यनारायण पुत्र श्री रोडू आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पीरू पुत्र मांगीलाल आुय 28 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कन्हैया लाल पुत्र मांगीलाल आयु 28 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भूमिधारी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 02.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छोटी पडाप तहीसल नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 88/382 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि

वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 सत्यनारायण पिता रोडू के नाम दर्ज है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालाफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । अप्रार्थी कम 01 राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थीगण को ताकत के बल पर उक्त भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थी कम 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 01 ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को नष्ट-भ्रष्ट नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी कम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गाँव से संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट रजलावता में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 02.10.2021 के द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद पुष्ट कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के उपस्थित होने के बावजूद व शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट नोटिस प्राप्त होने पर परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुआ और अपनी ओर से अधिवक्ता को नियुक्त किया । एकतरफा स्थगन होने से शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अगली तारीख पेशी दिनांक 21.10.2021 नियत की गई परन्तु उक्त पेशी को सुनवाई नहीं की गई तथा पुनः दिनांक 05 जनवरी, 2021 तारीख पेशी नियत कर दी । अंतिम तारीख पेशी दिनांक 18.10.2021 नियत की गई परन्तु तारीख से पूर्व ही पत्रावली को प्रशासन गाँव के संग अभियान कोर्ट कैम्प में लेकर बिना किसी सूचना व सुनवाई के दिनांक 02.10.2021 को अन्तरिम आदेश को पुष्ट कर दिया गया । उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.04.2022 को हुई और उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट रजलावता में रखते हुए हुए पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट कर दिया । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित हुआ था और एकतरफा स्थगन होने से शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अगामी तारीख पेशी दिनांक 21.10.2021 नियत की गई परन्तु उक्त पेशी को सुनवाई नहीं की गई तथा पुनः दिनांक 05 जनवरी, 2021 तारीख पेशी नियत कर दी । अंतिम तारीख पेशी दिनांक 18.10.2021 नियत की गई परन्तु तारीख से पूर्व ही पत्रावली को प्रशासन गॉव के संग अभियान कोर्ट कैम्प में लोकर बिना किसी सूचना व सुनवाई के दिनांक 02.10.2021 को अन्तरिम आदेश को पुष्ट कर दिया गया । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 निरस्त फरमाया जावे । प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है । राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.10.2022 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 88, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट रजलावता में रखते हुए हुए पूर्व में जारी अंतरिम

अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट कर दिया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 11.09.2020 को अप्रार्थी अपीलान्ट की ओर से एकतरफा स्थगन आदेश जारी होने से प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् प्रकरण तारीख पेशियों में चलता रहा तथा दिनांक 05.07.2021 को दिनांक 18.10.2021 आगामी तारीख पेशी नियत की गई । परीक्षण न्यायालय नियत तारीख पेशी दिनांक 18.10.2021 से पूर्व ही दिनांक 02.10.2021 को उक्त प्रकरण को प्रशासन गॉव से संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट रजलावता में रखते हुए पूर्व में जारी दिनांक 10.08.2020 एकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट कर दिया । अप्रार्थी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 के द्वारा अप्रार्थी अपीलान्ट का जवाब बन्द कर पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को पुष्ट किया है । आदेशिका दिनांक 17.09.2020 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट अप्रार्थी प्रकरण को डिले नहीं करना चाहता था । आदेशिका दिनांक 02.10.2021 से स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट अप्रार्थी कैम्प कोर्ट में उपस्थित थे या नहीं । प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि न तो विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट तथा न ही अपीलान्ट अप्रार्थी कैम्प कोर्ट में उपस्थित थे । अतः हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 10.08.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 02.10.2020 के आदेश में ताफैसला वाद पुष्ट किया है । धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवश्यक तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर कोई विवचेन नहीं किया गया । उक्त आदेश **Non Speaking** है । अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया । अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर गुणावगुण के आधार पर नवीन सिरे से विधि सम्मत रूप से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.11.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये जाने तक उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

13. निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा